जनपद जालौन, उत्तर प्रदेश

प्रेस नोट-98, दिनांक 21.09.2019

आज दिनांक 21.09.2019 को थाना कोतवाली उरई पुलिस ,सर्विलांश सेल व स्वाट टीम की सहायता से हत्या की घटना में वांछित 01 अभियुक्त को आला कत्ल सहित गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त की है।

गिरफ्तार अभियुक्तगणों का विवरण –

1 – संजीव उर्फ संजू त्रिपाठी पुत्र राजकुमार त्रिपाठी निवासी मुहल्ला चुर्खीवाल कस्वा व थाना जालौन जनपद जालौन

बरामदगी का विवरण –

1 – 01 अदद तमंचा देशी 315 बोर नाजायज

2- 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर

3- 01 अदद खोखा कारतूस 315 बोर

4 - 01 अदद गमछा खून के धब्बे लगा हुआ।

गिरफ्तारी का स्थान, दिनांक व समय –

अभियुक्त को जनपद जालौन के थाना कोतवाली उरई क्षेत्र के कालपी स्टैन्ड के पास रखे ढाले के पास से आज दिनांक 21.09.2019 को समय 05.50 बजे गिरफ्तार किया गया।

दिनांक 17.09.2019 को वादी श्री वीरेन्द्र कुमार पुत्र श्री रामसहाय दोहरे निवासी मोहल्ला चुर्खीवाल थाना कोतवाली जालौन जनपद जालौन की तहरीरी सूचना पर थाना कोत0 उरई पर मु0अ0सं0 1167/19 धारा 302 भादवि एवं 3(2)5 SC/ST एक्ट वनाम 1 – रिंकू राजावत उर्फ अजीत सिंह निवासी मोहल्ला उमरारखेड़ा कोतवाली उरई जनपद जालौन 2– गाड़ी में सवार पार्टी व्यक्तियों के नाम पता अज्ञात, जिसमें वादी के छोटे भाई महेन्द्र कुमार उर्फ छोटे की बड़ागांव के पास स्कार्पियो गाड़ी में गोली मारकर हत्या कर देने एवं शव स्कार्पियो गाड़ी में छोड़कर भाग जाने के सम्बन्ध अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

इस सम्बन्ध में पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 सतीश कुमार के कुशल निर्देशन में उक्त घटना के सफल अनावरण एवं घटना में शामिल अभियुक्तगणों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु अपर पुलिस अधीक्षक जालौन डॉ0 अवधेश सिंह के मार्गदर्शन में क्षेत्राधिकारी सन्तोष कुमार सिंह के कुशल नेतृत्व में प्रभारी निरीक्षक कोतवाली उरई, सर्विलांश टीम व स्वाट टीम को लगाया गया था।

प्रभारी सर्विलांश सेल एव प्रभारी स्वाट टीम व प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली उरई मय हमराह फोर्स के साथ थाना क्षेत्र में रोकथाम अपराध, चैकिंग संदिग्ध व्यक्ति, लुटेरे ,वाहन चोर, वांछित/ पुरुस्कार घोषित अपराधी एवं पतारसी सुरागरसी के दौरान मुखबिर की सटीक सूचना पर हत्या में वांछित 01 अभियुक्त को अवैध असलाह के साथ कालपी स्टैन्ड के पास रखे ढाले के पास से गिरफ्तार किया गया।

इस सम्बन्ध में धाना कोतवाली उरई पर मु0अ0स0-1195 धारा 25/27 आर्म्स एक्ट वनाम संजीव उर्फ संजू त्रिपाठी पुत्र राजकुमार त्रिपाठी निवासी मुहल्ला चुर्खीवाल कस्वा व थाना जालौन जनपद जालौन पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

पूंछतांछ पर अभियुक्त संजू त्रिपाठी ने बताया कि मैने दिनांक 16.09.2019 को सुबह 8.00 बजे अपने माँ के मो0 नम्बर से ड्राइवर महेन्द्र सिंह उर्फ छोटे से गाड़ी झांसी जाने के लिये बुक कराई थी मैं और छोटे जालौन से करीव 9.15 बजे झांसी के लिये निकले थे झांसी रोड पर बड़ा गांव के आगे छोटे के मोबाइल पर रिचार्ज कराने के लिये गाड़ी को रोककर मोबाइल से बात करने लगा तभी मैने गाड़ी लूटने के उद्देश्य से अपने तमंचे से सर में सटाकर गोली मार दी फिर मैं कन्डक्टर सीट से उतर करके छोटे के शव को बीच वाली सीट पर खींचकर लिटा दिया इसके बाद मैं ड्राइविंग सीट पर जैसे ही बैठा तो गाड़ी की चावी नहीं लगी थी। उसी समय कानपुर जाने वाले हाइवे पर दो मोटरसाइकिल सवार आ कर रुक गये जिनको देखकर मैं घबड़ा गया और मैं उतर कर भाग गया।

गिरफ्तार अभियुक्त मुसम्मी संजू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास-

1 – मु0अ0सं0 05/2019 धारा 410/16 धारा 392 भादवि थाना कोतवाली कोंच जनपद जालौन।

2 – मु0अ0सं0 03/2008 धारा 307 भादवि कोतवाली जालौन जनपद जालौन।

3- मु0अ0स0 1184/2011 धारा 364/323/504/506/30/201 भादवि थाना कोतवाली जालौन।

4- मु0अ0स0 617/16 धारा 13 जी एक्ट कोतवाली जालौन जनपद जालौन।

गिरफ्तार करने वाली टीम का विवरणः-

1 – निरीक्षक श्री शैलेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस सेल जनपद जालौन।

2 - प्र0नि0 श्री शिवगोपाल वर्मा थाना कोत0 उरई जनपद जालौन।

3 - उ0नि0 श्री सुदीश कुमार प्रभारी स्वाट टीम जनपद जालौन।

4 - उ0नि0 श्री अशोक कुमार सिंह कोतवाली उरई जनपद जालौन।

5 - उ0नि0 शैलेन्द्र कुमार थाना कोत0 उरई जनपद जालौन।

6 - उ0नि0 लाल बहादुर थाना कोत0 उरई जनपद जालौन।

7 – का0 751 शोएब आलम सर्विलांस सेल जनपद जालौन

8 – का0 1327 जगदीश चन्द्र सर्विलांस सेल जनपद जालौन

9 – का0 1036 गौरव बाजपेई सर्विलांस सेल जनपद जालौन

10 – का0 143 मनोज कुमार स्वाट टीम जनपद जालौन

11– का0 1353 रवी भदौरिया स्वाट टीम जनपद जालौन

12 – का0 02 रवी कुमार स्वाट टीम जनपद जालौन

13 –का0 1024 शैलेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन

14 –का0 1080 कर्मवीर सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन

15 –का0 363 राजीव कुमार स्वाट टीम जनपद जालौन

16 –का0 1388 सतेन्द्र सिंह स्वाट टीम जनपद जालौन

17 – का0 1534 सचिन कुमार कोतवाली उरई जनपद जालौन।

18 – का0 1513 आकाश बाबू कोतवाली उरई जनपद जालौन।

नोट- दिनांक 31.01.2017 को उक्त अभियुक्त को मु0अ0स0 1184/11 धारा 364ए/323/504/506/302/201 भादवि थाना कोतवाली जालौन में आजीवन कारवास व 20 हजार रूपये की सजा सुनाई गयी थी इसी सजा में यह पैरोल पर जेल से बाहर था।